सेवा में

माननीय उप–मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषयः समिति की जांच में अनियमित्ता और तथ्यों को छुपाकर गोल–मोल व झूठी आख्या प्रस्तुत करने व अनिल शर्मा, आकिंक द्वारा प्रार्थी के 1,73,350/ रूपये समिति मे जमा न कर, गबन करने के बाद भी जांच करने वाले अधिकारी रजनी चतुर्वेदी द्वारा जानबूझकर अनिल शर्मा को बचाने के सम्बंध में।

महोदय

निवेदन है कि मुझ प्रार्थी द्वारा आपके पोर्टल पर दिनांक 01.08.2025 को एक शिकायत जिसका नम्बर 15138250149318 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सोसायटी खरखौदा न0 1, ब्लॉक खरखौदा जिला मेरठ में तैनात अनिल शर्मा आंकिक द्वारा प्रार्थी के अंकन रूपये 1,73,350/– का जानबूझकर उसके द्वारा रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टी कर रूपयों को गबन किया गया है और जब उससे पूछा गया तो उसने प्रार्थी के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करने व तरह तरह की घमकी देने व वरिष्ठ अधिकारियों व नेताओं से अपने सबंध बताने जिससे कि प्रार्थी, अनिल शर्मा आंकिक द्वारा की गई अनियमित्ता व फर्जीवाडा जो कि रिकॉर्ड में उसने जानबूझकर किया, कि शिकायत किसी उच्च अधिकारी से ना कर सकें। अनिल शर्मा आंकिक के द्वारा की गई प्रार्थी के साथ बदतमिजि और धमकियों से प्रार्थी बुरी तरह डरा गया। फिर प्रार्थी ने हुए भारी नुकसान के कारण शिकायत आपको की जिस पर आपके द्वारा जांच गठित की गई और सारे प्रकरण की जांच प्रार्थी की गैर मोजूदगी में व अनिल शर्मा को पूर्णरूप से उसके द्वारा किये गये अपराध से उसको बचाने के लिए जांचकर्ता अधिकारी रजनी चतुर्वेदी व अन्य अधिकारियों ने काफी प्रयास किया और अन्त में जांचकर्ता अधिकारी रजनी चतुर्वेदी ने अन्य अधिकारियों व नेताओं के दबाव में आकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे कि अनिल शर्मा को उसके द्वारा किये गये उक्त अपराध से पूर्णरूप से बचाव हो सकें। जांचकर्ता अधिकारी रजनी चतुर्वेदी ने अपने पद का पूर्णरूप से दुरूप्योग किया है और प्रार्थी किसान को नुकसान पहुचानें का, अनिल शर्मा आंकिक के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया है। प्रार्थी की जानकारी में आया है दिनांक 29.08.

Scanned with OKEN Scanner

2025 को इसी समिति जिसके द्वारा को प्रार्थी सताया जा रहा है और समिति में खाद गोदाम का ईचार्ज अनिल शर्मा हैं, इस समिति पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा छापा डाला गया तो सारी अनियमित्ताये पायी गयी। जांच में 300 बोरे यूरिया, 65 बोरे की बिक्री के रिकॉर्ड को मिलान अनिल शर्मा द्वारा नही किया गया। अपर जिला कृषि अधिकारी ने खाद की बिक्री के रिकॉर्ड और रजिस्टर तथा मशीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रकार अनिल शर्मा द्वारा की गई अनियमित्ताओं और भ्रष्टाचार की जांच में चांज अधिकारी रजनी चतुर्वेदी के द्वारा अनिल शर्मा को जान बूझकर किसी दबाव में बचाया गया है। प्रार्थी अंकन 1,73,350/– रूपये समिति में जमा कर चुका है, जो अनिल शर्मा को दिये गये है। अनिल शर्मा ने जानबूझकर पैसो का गबन किया गया है। यह भी बताना आवश्यक है जो चैकबुक प्रार्थी किसान को मिली ही नही, किसी अन्य चैकबुक के चैको का भी इंद्राज रिकॉर्ड मे है जिससे अनियमित्ता स्पष्ट होती है।

इस प्रकार प्रार्थी जो बहुत ज्यादा पीडित है जिसको आपसे न्याय की बहुत उम्मीद है, आपसे प्रार्थना करता है कि आप प्रार्थी के मामले को गंभीरता से लेकर प्रार्थी के साथ न्याय करायें तथा सारे प्रकरण की जांच पुनः किसी उच्च अधिकारी के द्वारा करायी जायें और प्रार्थी द्वारा जमा धनराशि जो अनिल शर्मा आंकिक द्वारा गबन की गयी है या तो प्रार्थी को मय ब्याज वापस दिलायी जाये या समिति में प्रार्थी के द्वारा जमा की गयी दिनांक से गणना कर शेष धनराशि प्रार्थी से जमा कराकर, प्रार्थी के खाते को बंद कराया जाये। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः

प्रार्थी

विरेन्द्र त्यागी

ग्राम कौल, तहसील, जिला मेरठ

संलग्नकः

1. प्रार्थी द्वारा पूर्व मे दिया प्रार्थनापत्र की कॉपी।
2. समिति के कंटिग रजिस्टर की कॉपी।
3. अखबार में प्रकाशित सूचनाओं की छायाप्रतियां।
4. अनिल शर्मा के निलंबन आदेश की छायाप्रति।

Scanned with OKEN Scanner

129680
1720
131030

लेन–देन का विवरण

दिनांक	चैक नं०/ रसीद नं०	कुल धन जो सदस्य से प्राप्त हुआ	धन जो समिति को प्राप्त हुआ: असल	सूद	अमानत	हिस्सा	दीगार
6/3/14	35441/14	128680	125531	1133		2200	16
9/3/14	CA R 4	29759					
3-6-14		165520	160000	1157		4300	63
9/5/14							
143760							
27/6/17	36447	187148	187500	180			
28/6/14	292561						
23/6/15							
28/6/16							
26/6/17	35797	188510	182720	5792			8
—	56/57	63418	57048	5236		1200	6
27/6/18							
217862							

धन जो सदस्य को दिया गया: नकद	वस्तु खाद	अमानत वापिस	दीगर	सदस्य पर लगा ऋण रु०	पै०	सदस्य का समिति में जमा: हिस्सा	अमानत	हस्ताक्षर
		0/3		125531		6000	—	
				—		8200	—	
160000				160000		8200		
				—		12500	—	
187000				187000		12500		
						12500		
187500				187500		12500	—	
44550								
219110				219110		12500	—	
						13700		
274000				274000		13700		

लेन–देन का विवरण

दिनांक	चैक नं०/ रसीद नं०	कुल धन जो सदस्य से प्राप्त हुआ	धन जो समिति को प्राप्त हुआ: असल	सूद	अमानत	हिस्सा	दीगार
17-6-16		286690	274000	12678			12
18-6-16	99	2503					
6/7/17	41276/56	284230	274000	10218			11
30/6/17	992564						
26/6/18	41277/21	282103	274000	8084			11
25/6/18	992568						
~~30/6/19~~	~~42680/24~~	~~173351~~	~~165000~~	~~8332~~			18

धन जो सदस्य को दिया गया: नकद	वस्तु खाद	अमानत वापिस	दीगर	सदस्य पर लगा ऋण रु०	पै०	सदस्य का समिति में जमा: हिस्सा	अमानत	हस्ताक्षर
Rec 18/6				—		13700		
274000	18/6/16			274000		13700		
						13700		
274000				274000		13700		
188030 18555						13700		
274000	18/6/18			274000		13700		
				~~109000~~		~~13200~~		

क्र 8255 9997586372

जिला सहकारी बैंक लि०, मेरठ

खाता

सदस्य

1- समिति का नाम ....
2- विकास खण्ड का नाम .... [illegible] / 5223-3717-0553
3- सदस्य का नाम .... [illegible]
4- पिता का नाम .... [illegible]
5- भूमि रजिस्टर में सदस्य की पृष्ठ संख्या ....
6- पता .... [illegible]
7- ऋण सीमा रजिस्टर में सदस्य की पृष्ठ संख्या ....
8- (क) मध्यकालीन ऋण की स्वीकृत प्रतिदान क्षमता (ऋण सीमा रजिस्टर का क्रम 11)
(ख) समिति की कार्यकारिणी/संचालक मंडल की बैठक की दिनांक तथा प्रस्ताव संख्या जिसके द्वारा प्रतिदान क्षमता स्वीकृत हुई। { दिनांक .... प्र० संख्या ....
10- सदस्य द्वारा खरीदे गए हिस्से (क) दिनांक खरीद .... (ख) हिस्सों की संख्या .... (ग) हिस्से का मूल्य ....

विवरण	दिनांक	कुल संख्या	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ऋण क					
ऋण क					
ऋण ख					
ऋण ख					

लेन देन का दिनांक	सदस्य को दिया गया धन: नकद	सदस्य को दिया गया धन: वस्तु के रूप में	सदस्य से प्राप्त धन: नकद सदस्य द्वारा	सदस्य से प्राप्त धन: क्रय-विक्रय समिति में सदस्य की उपज बेचकर	हिस्सा: जो वसूल हुआ	हिस्सा: हस्तांतरित या वापस किया गया	हिस्सा: कुल हिस्सा जो जमा है	ब्याज: जो वाजिब हुआ	ब्याज: जो वसूल हुआ	ब्याज: शेष	अल्पकालीन ऋण: जो वाजिब हुआ	अल्पकालीन ऋण: जो वसूल हुआ	अल्पकालीन ऋण: जो दिया गया	अल्पकालीन ऋण: ऋण बाकी	अल्पकालीन ऋण: [illegible]
	२क	२ख	३क	३ख	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
							13700	11352	3926	13078	274000				211500?
								3849		16426					
			228610?				13700		12678	—		211600			[illegible]
							13700						274000		[illegible]
	274000						13700	7772	2480	4692					[illegible]
								1262		5954					
				1532 ब्याज माफी			13700		1532						
[illegible]												274000	274000		[illegible]
[illegible]							13700								
1-4-17?							13700								[illegible]
[illegible]															
[illegible]			284270?				13700		16249?			233000			
30/6/17?	274000						13700						274000		274000
1-10-17							13700								274000
31-3-18							13700					274000	274000		274000
1-4-18							13700				274000				274000
[illegible]			282150?				13700		16084?			274000			
25-6-18	274000						13700						274000		274000
1-10-18							13700	7872	2722	360					274000
1-4-19							13700	14619	5855	14774					274000
~~[illegible]~~			~~[illegible]~~				13700		~~8552~~			~~[illegible]~~			~~[illegible]~~
30-6-19							13700	4762	3527	19496					274000
1-10-19							13700	8771	—	28267					274000
1-4-20							13700	17447	—	45714					274000

मध्यकालीन ऋण

जो वाजिब हुआ	जो वसूल हुआ	जो दिया गया	ऋण बाकी	[illegible]
१५	१६	१७	१८	[illegible]
[illegible]				

भ्रष्टाचार के सम्बंध में चैको के फर्जीवाडे के सामान्य बिन्दु

चैक सं.	भ्रष्टाचार विवरण	रकम	दिनांक
429751		40,000 (चालीस लाख)	20.10.2011
429752		51,000 (इक्कयावन हजार)	07.04.2012
429753		6000 (छः हजार)	30.06.2012
429754		50,000 (पचास हजार)	07.10.2012
429755		46,000 (छियालीस हजार)	15.042013
429756	चैक किसान के पास ही है।	रद्द कर रखा है	12.06.2013
429757		57,000 (सत्तावन हजार)	12.06.2013
429758		62,000 (बासठ हजार)	11.12.2013
429759		1,60,000 (एक लाख साठ हजार)	07.03.2014
फर्जी चैक	किसान से कोई चैक नही लिया	**1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार)**	**06.03.20214**
429760		1,87,000 (एक लाख सत्तासी हजार)	09.04.2014
992561		1,87,000 (एक लाख सत्तासी हजार)	29.06.2014
फर्जी चैक	किसान से कोई चैक नही लिया	**2,49,768 (दो लाख उन्नचास हजार सात सौ अडसठ)**	**तारीख गलत**
992562		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	27.06.2015
992563		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	18.06.2016
992564		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	30.06.2017
992565		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	25.06.2018
992566	**राशि जो किसान ने जमा की, समिति रजिस्टर में काटछांट कर बकाया दिखा दिया।**	**1,73,350 (एक लाख तीहत्तर हजार तीन सौ पचास) मूलधन 1,65,000, मय ब्याज के 1,73,350/6**	**30.06.2019**

उक्त विवरणिका में जो मेरे द्वारा 1,73,350 मय ब्याज अर्थात मूल धन 1,65,350 रूपये जो मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2019 में जमा किया गया था वह भी मेरी पासबुक/लेजर/सरकारी रिकॉर्ड में समिति द्वारा काटछांट कर मिटा/हटा दिया है।

1. 1,25,000/— फर्जी चैक से दर्शाया गया धन
2. 2,49,000/— फर्जी चैक से दर्शाया गया धन
3. 1,73,350/— किसान का मय सूद जमा किया गया धन जो समिति द्वारा रजिस्टर में काटछांट कर किसान पर बकाया दिखाया गया धन

Scanned with OKEN Scanner

कैश स्क्रॉल सं०..........

केवल चैक व ड्राफ्ट के लिए

बचत खाता

जिला सहकारी बैंक लि०, मेरठ

लॉग बुक सं० .... शाखा .... खाता पृष्ठ सं० ....

दिनांक 30.6.2019

किस बैंक पर	चैक का क्रमांक	धनराशि रु०	पै०
DCB PHD	992566	165000	
	कुल धनराशि रु०	165000	

खाता सं० / Account No. 0255

नाम विरेन्द्र कुमार

धनराशि (शब्दों में) एक लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र

विरेन्द्र कुमार

ह० जमाकर्ता ....

खजान्ची लिपिक ह० आंकिक व्यवस्थापक

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय :— प्रार्थी द्वारा किसान समिति लिमिटेड सोसाइटी, खरखौदा न० 1 ब्लाक खरखौदा जिला, मेरठ से लिये ऋण को समिति द्वारा फर्जीवाडा कर बढाने के सम्बंध में।

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त समिति से दिनांक 14.10.2013 को अंतिम बार 62000 रू0 ऋण लिया था जिसे समिति द्वारा फर्जीवाडा कर निम्न विवरण के अनुसार अपनी मर्जी से बिना प्रार्थी को बताये बढाया जाता रहा है जो प्रार्थी को आज तक नही मिला है।

दिनांक	जमा/निकासी	समिति द्वारा बढाया गया लॉन/ऋण
11.062013	निकासी	47,000/—(सैतालिस हजार)
12.06.2013	निकासी	1,25,000/—(एक लाख पच्चीस हजार)
06.03.2014	निकासी	1,60,000/—(एक लाख साठ हजार)
09.06.2014	निकासी	1,87,000/—(एक लाख सत्तासी हजार)
23.06.2014	निकासी	2,49,000/—(दो लाख उन्नचास हजार)
27.06.2015	निकासी	2,74,7000/— (दो लाख चौहत्तर हजार)

30.06.2019, जमा	1,65,000/—(एक लाख पैसठ हजार)

प्रार्थी को पासबुक में एंट्री कराने के बाद पता चला कि उक्त खाते में गलत तरीके सोसायटी द्वारा गलत लेन देन किया जा रहा है जिसका विवरण प्रार्थी द्वारा उक्त तालिका मे दिया जा चुका है।

दिनांक 30.06.2019 में प्रार्थी ने समिति को जमा 1.65.000/—(एक लाख पैसठ हजार) जमा किया जो प्रार्थी की लोन राशि में नही घटाया गया और पासबुक में एंट्री कर दी गयी लेकिन बाद में उक्त एंट्री को समिति के सदस्यों द्वारा रजिस्टर और पासबुक में काट दिया गया, जो नियम विरूध है। प्रार्थी की जमीन के अनुसार जितना लोन मिलना चाहिए था समिति द्वारा उसकी सीमा से भी कही अधिक लोन प्रार्थी के नाम पर चढा दिया। उक्त लॉन के कारण प्रार्थी के खाते को बैंक द्वारा एन.पी.ए. में डाल दिया गया, जिस कारण से अमीन द्वारा दबाव बनाने से प्रार्थी मानसिक रूप से परेशान है। उक्त सभी के समाधान हेतु किसान सेवा समिति के खातो व रजिस्ट्रर की जांच कराकर समिति के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही के आदेश कराया जाए।

अतः आपसे निवेदन है कि समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण की जाँच कराने व दोषियों के विरूध नियम संगत कानूनी कार्यवाही कराने हेतू आदेश देने की कृपा करें।

दिनांक :—

संलग्नक :
1. आधार कार्ड
2. पासबुक की फोटो कॉपी
3. खाते का स्टेटमेंट
4. जमा की स्लिप

प्रार्थी विरेन्द्र कुमार

विरेन्द कुमार त्यागी पुत्र छिद्दा सिंह त्यागी

निवासी ग्राम कौल, थाना खरखौदा

जनपद मेरठ

मो0नं0— 7037886372. 9897586372

Scanned with OKEN Scanner

खाद वितरण में धांधली को लेकर सचिव और आंकिक निलंबित

संवाद सूत्र, जागरण● खरखौदा: खाद गोदाम पर बिक्री में धांधली की सूचना के बाद जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर 29 अगस्त को हुई छापेमारी में दोषी पाए गए सचिव रविंद्र कुमार यादव व आंकिक अनिल कुमार शर्मा को निलंबित किया गया है। मामले में सहायक विकास अधिकारी रजनी चतुर्वेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कस्बे में बी पैक्स नंबर एक पर उर्वरक वितरण कार्य में अनियमितता की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर अपर जिला सहकारी अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी दोनों ने 29 अगस्त को केंद्र पर छापेमारी की थी। जांच में उर्वरक वितरण ई पास मशीन से व आधार कार्ड देखकर किए जाने संबंधित निर्देशों के होना पाया गया। साथ ही उर्वरक बिक्री की धनराशि 2,81,897 रुपये समय पर जमा न करने का दोषी पाया गया था। जांच में समिति पर कार्यरत सचिव रविंद्र कुमार यादव की समिति कार्यों के प्रति उदासीन कार्य शैली, उर्वरक वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण न करने, शिथिल नियंत्रण के कारण विभाग की छवि धूमिल किए जाने जाने का दोषी पाया गया था। जांच के बाद सदस्य सचिव जिला प्रशासनिक कमेटी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता दीपक कुमार द्वारा सचिव रविंद्र कुमार यादव व समिति आंकिक अनिल कुमार शर्मा दोनों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण करने को सहायक विकास अधिकारी रजनी चतुर्वेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबित अवधि में सचिव बी पैक्स खरखौदा नंबर एक पर ही संबंध रहेंगे। बी पैक्स पश्चिम के सचिव जयशंकर पांडेय को बी पैक्स खरखौदा नंबर एक की भी जिम्मेदारी दी गई है।

- खाद गोदाम पर बिक्री में धांधली की सूचना पर 29 अगस्त को हुई थी छापेमारी
- अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण करने के लिए सहायक विकास अधिकारी को जिम्मेदारी

Scanned with OKEN Scanner

2025

खरखौदा में खाद गोदाम पर छापेमारी, हड़कंप मचा

खरखौदा। अपर जिला कृषि अधिकारी ने गुरुवार खाप कस्बा स्थित सहकारी समिति नंबर एक पर छापेमारी की। छापेमारी में खाद व डीएपी की बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर बिक्री मशीन को कब्जे में लिया।

शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी द्वारा खाद गोदाम पर मामले की जांच के लिए पहुंचेंगे। शुक्रवार अपर जिला कृषि अधिकारी ओमपाल पूनिया ने जिला कृषि अधिकारी राजीव सिंह के निर्देश पर सहकारी समिति नंबर एक छापेमारी की। अपर जिला कृषि अधिकारी ने समिति सचिव नरेन्द्र यादव व खाद गोदाम प्रभारी अनिल शर्मा से बिक्री रजिस्टर आदि की जांच पड़ताल की। जांच में 300 बोरे खाद और 65 बोरे डीएपी की बिक्री के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाने पर अपर जिला कृषि अधिकारी ने खाद और बिक्री की मशीन, रिकॉर्ड रजिस्टर आदि अपने कब्जे लिए और जिला कृषि अधिकारी को अवगत कराया। अपर जिला कृषि अधिकारी ओमपाल पूनिया ने बताया कि छापेमारी के दौरान खाद व डीएपी की बिक्री में धांधली प्रतीत हो रही है। जिला कृषि अधिकारी राजीव सिंह ने बताया खाद की गाड़ी गोदाम पर पहुंचते ही खत्म होने की सूचना मिल रही थी. संदेह होने पर अपर जिला कृषि अधिकारी को जांच के लिए भेजा है।

यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा खाद की कालाबाजारी यदि की होगी तो कोई भी दो... **Read more**

Reply

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता मेरठ।

पत्रांक 893 / सह0 / अधिकोषण / 2025-26 / दिनांक 01/09/25

सचिव / अध्यक्ष / प्रबन्ध. कमेटी,
बी-पैक्स खरखौदा नं0-1,
विकास खण्ड- खरखौदा।

अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील सदर मेरठ व सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास खण्ड खरखौदा ने दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर बी-पैक्स खरखौदा नं0-1 पर पर पाये गये कम उर्वरक रू0 281897.00 की अनियमितता/अस्थायी गबन के दोषी होने, कार्यो के प्रति उदासीनता, रोकड़ बही का प्रबन्ध न करने, उर्वरक वितरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण न करने, विभाग की छवि धूमिल करने आदि आरोपों में समिति आंकिक श्री अनिल शर्मा को निलम्बित कर वैधानिक/अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री अनिल शर्मा, आंकिक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये वैधानिक/अनुशासनिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता मेरठ।

पत्रांक व दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 मेरठ।
2. सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास खण्ड खरखौदा को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3. अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील सदर मेरठ।
4. सचिव / मुख्यकार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0 मेरठ।
5. संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक महोदय, सहकारिता मेरठ मण्डल मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

खबर का असर : खरखौदा, खेत का हक़ डकारने पर सचिव और क्लर्क निलंबित

खरखौदा की बी-पैक्स समिति में बड़ा खेल उजागर, कुर्सी गई

मेरठ के खरखौदा विकास खंड की बी-पैक्स समिति नं-1 में जो खेल हुआ, उसने किसानों के पेट की रोटी पर ही हाथ डाल दिया। खाद का धंधा ऐसे चला जैसे खेत नहीं, कोई दुकानदारी हो। लाखों रुपए का हिसाब गड़बड़ा गया और किसानों की मेहनत की खाद ही सवालों में घिर गई।

News Highway ने जब ये गड़बड़ी उठाई, तो विभाग की कुर्सियाँ हिल गईं। सहकारिता विभाग ने मान लिया कि खेल तो गड़बड़ है। आदेश निकला और देखते ही देखते सचिव रविन्द्र कुमार यादव और आंकिक (क्लर्क) अनिल शर्मा दोनों को निलंबित कर दिया गया।

जांच में निकला कि उर्वरक बेचते समय नियम ताक पर रख दिए गए। पॉस मशीन और आधार कार्ड से बिक्री की जगह सीधे मनमानी चली। 2,81,897 रुपये की रकम का कोई पक्का हिसाब नहीं। रोकड़ बही अधूरी, अभिलेख गायब और किसानों के हक़ की रकम जैसे जेब में दबा ली गई हो।

सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यशैली ऐसी रही कि विभाग की छवि तक बदनाम हो गई। यही वजह रही कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मेरठ ने आदेश जारी करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। सचिव का प्रभार जयशंकर पाण्डेय को दिया गया है, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त वेतन या भत्ते के।

निलंबन के दौरान रविन्द्र कुमार यादव और अनिल शर्मा को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन असली कमाई अब विभागीय कार्रवाई से होगी – गुनाह साबित हुआ तो नौकरी ही चली जाएगी।

विभाग ने साफ संदेश दिया है – "खेती-किसानी में गड़बड़ी की तो कुर्सी नहीं बचेगी। खाद किसानों का हक है, इसे हड़पने वालों को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।" गाँव-देहात में इस खबर ने आग की तरह काम क्रिया है। किसानों का कहना है कि देर से सही लेकिन कार्रवाई सही दिशा में है।

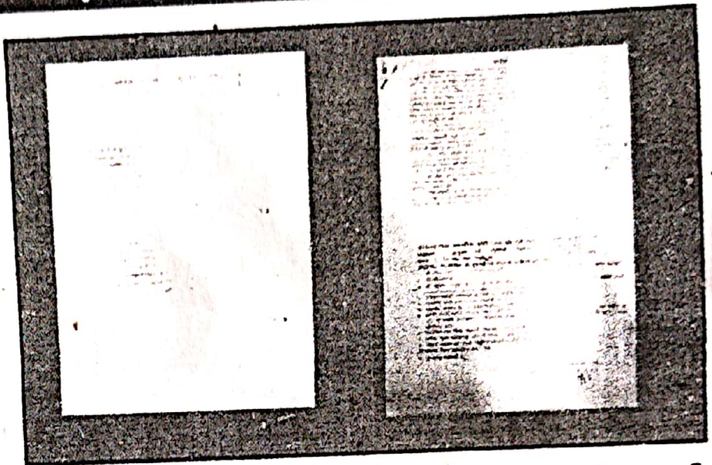

News Highway की रिपोर्टिंग का असर दिखा और पहली बार विभाग ने मान लिया कि लूट का खेल खेला गया था।अब किसानों की निगाहें जांच पर टिकी हैं। सवाल साफ है - क्या सिर्फ निलंबन से गड़बड़ी की भरपाई होगी या फिर इस लूट के असली जिम्मेदारों को भी जेल तक पहुँचना पड़ेगा?

किन आरोपों में फंसे सचिव और क्लर्क?

जांच में सामने आया कि

* बिक्री की ₹2,81,897 रकम समय पर बैंक में जमा नहीं की गई।पॉस मशीन और आधार कार्ड से वितरण के नियम का उल्लंघन किया गया।
* रोकड़ बही और वितरण अभिलेख अधूरे रखे गए।
* कार्यप्रणाली लापरवाह रही और विभाग की छवि धूमिल हुई।

इन सभी आरोपों को गंभीर मानते हुए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मेरठ ने आदेश जारी किया कि दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई जाए।

Scanned with OKEN Scanner